कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1509/11–सी– FP/UP/Approach/49598/2020_लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 10 ,2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद बरेली में बरेली–रामपुर मार्ग (पुराना एन0एच0–24) कि0मी0 242 चैनेज 241.650 प्लाट नं0 सी0पी0–03 सी0वी0 गंज तहसील सदर जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.0922187 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 19 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Approach/49598/2020

सन्दर्भः उ0प्र0 शासन, की पत्र पी0 185/81–2–2024–800(181)/2024, दिनांक–12.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में आख्या वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक–1843/14–1, दिनांक 29.11.2024 द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1509/11–सी FP/UP/Approach/49598/2020 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बरेली।
3– हस्ताक्षरकर्ता, रियल वर्चुअल वर्क्स, प्राईवेट लिमिटेड।

(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:– 1843 / 14–1, बरेली, दिनांक, 29 /नवम्बर/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :– जनपद बरेली में बरेली–रामपुर मार्ग (पुराना एन0एच0–24) कि0मी0 242 चैनेज 241.650 प्लाट नं0 सी0पी0 –03 सी0वी0गंज तहसील सदर जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.0922187 है0 संरक्षित वन भूमि एवं वाधक 19 वृक्षों के पातन एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
(Online Proposal no. FP/UP/Approach/49598/2020)

संदर्भ:– आपका पत्रांक 744/11सी–FP/UP/Approach/49598/2020 दिनांक 13.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 2115/14–1 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं0	इंगित आपत्ति	प्रस्तावक द्वारा आपत्ति निराकरण आख्या
01	अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के साथ संलग्न बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के साइट प्लान में प्लाट नं सी0पी0–03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर चौड़ाई की एक सड़क दर्शित है। जब प्रश्नगत प्लाट नं0 सी0पी0–03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर की एक सड़क गुजर रही है, तो क्या किसी अन्य साइड से एप्रोच का प्रस्ताव है?	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में अनुसचिव, उ0प्र0 सरकार उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग – 2, लखनऊ द्वारा इंगित की गयी आपत्ति के क्रम में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के साईट प्लाट नं0 3 के ठीक बगल से 7.50 मी0 चौड़ाई की एक सड़क गुजर रही है जिसके सम्बन्ध में बरेली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्रांक 3025/ब0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 09.11.2024(छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है , कि लोहिया विहार योजना (सी0बी0गंज) के स्वीकृत मानचित्र में रामपुर रोड पर 7.50 मी0 चौड़े सर्विस मार्ग को प्रदर्शित किया गया है। उक्त सर्विस मार्ग का निर्माण स्थल पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, और न ही निकट भविष्य में उक्त सर्विस मार्ग के निर्माण की सम्भावना है। भू खण्ड सं0– सी0पी0 – 3 के रामपुर रोड से सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि ही निकटतम एवं एकमात्र उपलब्ध मार्ग है इसके अतिरिक्त रामपुर रोड पर पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

संलग्न:– यथोपरि ।

भवदीय

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:– /(1) 14–1, दिनाँकित।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग बरेली को उनके पत्रांक– 2115/14–1/ दिनांक 26.11.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

संख्या-पी-185/81-2-2024-800(181)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह चौहान
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2024

विषय-जनपद बरेली में बरेली-रामपुर मार्ग (पुराना एन0एच0-24) किमी0 242 चैनेज 241.650 प्लाट नं0 सी0पी0-03 सी0बी0 गंज तहसील सदर जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.0922187 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 19 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/49598/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-334/11-सी-एफपी/अप्रोच/49598/2020 दिनांक 03.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के साथ संलग्न बरेली विकास प्राधिकरण , बरेली के साइट प्लान में प्लाट नं0 सी0पी0-03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर चौड़ाई की एक सड़क दर्शित है। जब प्रश्नगत प्लाट नं0 सी0पी0-03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर चौड़ाई की एक सड़क गुज़र रही है , तो क्या किसी अन्य साइड से एप्रोच का प्रस्ताव है?

3- इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। उक्त के अतिरिक्त गैर वन प्रायोजन से क्या तात्पर्य है? के संबंध में भी स्थिति सपष्ट की जाय।

भवदीय,

Signed by
Devendra Singh Chauhan
Date: 12-09-2024 14:18:35
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।